

समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सेवापूर्व विशेष आवश्यकता शिक्षक प्रशिक्षण की सार्थकता

भारती*

सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का उद्देश्य है, ऐसे शिक्षक तैयार करना जो विद्यालयों में तत्परता एवं कुशलता से अपनी सेवाएँ प्रदान कर देश की भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। आज के विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के साथ विशेष शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है ताकि प्रत्येक छात्र की भिन्न आवश्यकताओं की देखभाल सामान्य शाला में ही हो सके। विशेष शिक्षकों का सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्या उन्हें सामान्य शालाओं में कार्य करने हेतु तैयार करता है? क्या वह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को समावेशी कक्षाओं में शामिल करने के पक्ष में है? इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों का अध्ययन समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया। अध्ययन के परिणामों और विधि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत लेख में किया गया है।

रोहित देख नहीं सकता, पर उसे अच्छी तरह से सुनाई देता है। वह सुन कर अपना पाठ भी याद कर लेता है। कक्षा के अन्य साथी उसे श्यामपट्ट पर लिखा अथवा पुस्तक में लिखा पढ़ कर सुना देते हैं। इससे उसे पढ़ाई-लिखाई संबंधी कठिनाई शायद ही आती है। कक्षा अध्यापिका श्रीमति राधिका भी रोहित की विशेष आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण पद्धति में

बदलाव लाने हेतु सचेत व सक्रिय रहती हैं। विशेष आवश्यकताओं के प्रति अपनी इस संवेदनशीलता का श्रेय वह अपने विद्यालय के विशेष शिक्षक एवं रोहित के माता-पिता को देती हैं।

रोहित का उदाहरण यह तो समझाता है कि किस तरह से माता-पिता, कक्षा साथी, सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से

* असिस्टेंट प्रोफेसर, डी.ई.जी.एस.एन, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110016

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य शालाओं में, सामान्य कक्षा-कक्ष में, पाठ्यचर्या अनुकूलन से विद्यालय की गतिविधियों में प्रभावी प्रतिभागिता कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकरण से विशेष शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता। प्रस्तुत लेख में चर्चा का बिंदु है, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, यह किस प्रकार से सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण से भिन्न है।

विशेष शिक्षक प्रशिक्षण मुख्यतः उस प्रशिक्षण को कहते हैं, जिसे करने के बाद प्रशिक्षुओं में बालकों की अधिगम संबंधी विशेष आवश्यकताओं की जानकारी, विकास एवं प्रबंधन संबंधी कौशल संवर्धन होते हैं। अर्थात् इस प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षु विद्यालयी बालकों की अधिगम संबंधी विशेष आवश्यकताओं, जैसे कि लिखे हुए को न पढ़ पाना (दृष्टि बाधा के कारण), कक्षा में हो रहे वार्तालाप, चर्चा को भली-भाँति सुन-समझ न पाना (श्रवण विकारों के कारण), कक्षा निर्देशों का पालन न कर पाना, अतिसंवेदनशीलता और अतिचंचलता के कारण व्यवहार में आने वाली कठिनाईयाँ इत्यादि को प्रशिक्षु न केवल पहचान ही सकता है, बल्कि इन विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा-कक्ष की गतिविधियों में बदलाव की योजना सामान्य शिक्षक के साथ साझा कर, उनका क्रियान्वयन भी करने में सक्षम हो जाता है। सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण—जिसे हम बी.एड. के नाम से जानते हैं, के जैसा ही है जो कुछ अंतर है तो वह है विषयवस्तु एवं प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में।

अभी कुछ वर्षों पहले तक विशेष शिक्षकों का कार्यक्षेत्र विशेष विद्यालयों तक ही सीमित था। विशेष विद्यालय वह विद्यालय हैं, जो विशेष बालकों की विशेष आवश्यकतानुरूप, विशेष पाठ्यचर्या निर्माण और उसके क्रियान्वयन द्वारा विशेष बालकों को स्वावलंबन एवं समाज में स्वतंत्र रूप से रहने और जिम्मेदार सदस्य बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। विशेष विद्यालयों में प्रमुखतया एक ही प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रवेश दिया जाता है, जैसे कि, श्रवण-विकार वालों का विशेष विद्यालय या फिर मानसिक चुनौतियों वालों का विशेष विद्यालय इत्यादि।

विशेष बालकों के लिए सामान्य शालाओं के दरवाजे खोलने में 2009 में शुरू हुए भारत सरकार के कार्यक्रम, 'सर्व शिक्षा अभियान' का अहम योगदान है। सर्व शिक्षा अभियान की दाखिले में शून्य अस्वीकारता, पास का विद्यालय एवं विशेष बालकों की शाला तक पहुँच इत्यादि विशेष प्रावधानों ने सामान्य शालाओं को समावेशी विद्यालयों में बदल दिया। इस पूर्ण प्रक्रिया में 2009 के 'शिक्षा के अधिकार कानून' की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।

समावेशी विद्यालयों में, विशेष बालकों की पढ़ाई-लिखाई एवं सामाजिक समावेशन को गति प्रदान करने और सामान्य शिक्षक कि मदद करने हेतु विशेष शिक्षक की आवश्यकता महसूस की गई। यह जरूरत इसलिए भी थी कि सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं से संबंधित कोई ठोस जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। अतः वह खुद को विशेष बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता पूर्ति

हेतु असमर्थ पाता था। नतीजा यह हुआ कि विशेष शिक्षकों को सामान्य शालाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होने लगा। “समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। यह शिक्षा छात्रों को अपने हमउम्र के साथ कक्षा में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों की शिक्षा में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को शामिल करने का प्रयत्न भी करती है।” [(www.successkey.com) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र]

समावेशी शालाओं में आने वाले विशेष बालकों और विशेष विद्यालयों में जाने वाले विशेष बालकों की शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अंतर था। जहाँ समावेशी विद्यालय में विशेष बालक को गैर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ घुलने-मिलने और सामान्य पाठ्यचर्या के अनुरूप पढ़ाई करनी थी, वहीं विशेष विद्यालय में पाठ्यचर्या से लेकर दैनिक गतिविधियों तक सब कुछ विशेष आवश्यकता के अनुरूप था। समावेशी शालाओं में सेवारत विशेष शिक्षकों की कुछ चुनौतियाँ निम्न थीं—

- बहुअक्षमता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संभाषित करना। चाहे प्रशिक्षण ने आपको केवल मानसिक विकलांगता का विशेषज्ञ बनाया हो, लेकिन सामान्य शाला में आपको, चक्षुविकार, श्रवण विकार, स्वालीनता इत्यादि सभी आवश्यकताओं की देखभाल करनी होगी।

- वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (IEP) का क्रियान्वयन समावेशी शालाओं में शायद पूर्णतया संभव नहीं था। क्योंकि शाला में विशेष शिक्षक की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के तौर पर थी जो सप्ताह में एक या दो दिन ही एक शाला में आएगा।
- अनुभवी एवं मंझे हुए सामान्य शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति में विशेष आवश्यकतानुसार बदलाव करने के लिए मनाना। कई बार विशेष एवं सामान्य शिक्षकों में टकराव भी महसूस किया गया।
- विशेष शालाओं के विपरीत समावेशी शाला पाठ्यचर्या को समझना और उसे विशेष बालक की आवश्यकतानुरूप एवं क्षमता अनुसार अनूकूलित करना।
- विशेष बालक को अकेले में विशेष रूप से पढ़ाने के साथ-साथ समावेशी कक्षा में पढ़ने एवं सीखने योग्य बनाना।
- सामान्य शालाधिकारियों को विशेष आवश्यकताओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना।
- माता-पिता एवं सामान्य शिक्षक की अपेक्षाओं में बालक की क्षमतानुसार तालमेल बैठाना।

उपरोक्त के अलावा और भी बहुत कुछ इस सूची में जोड़ा जा सकता है। हकीकत तो यह थी कि विशेष अध्यापक के मन में भी समावेशी शालाओं को लेकर दुविधा थी। क्योंकि उसका प्रशिक्षण तो विशेष विद्यालयों में एक प्रकार के विशेष बालकों के साथ, विशेष पाठ्यचर्यानुसार कार्य करने हेतु हुआ

था। विशेष शिक्षक प्रशिक्षण क्या विशेष शिक्षकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था और समावेशी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की जानकारी दे रहा था? क्या विशेष शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को समावेशी विद्यालयों की आवश्यकतानुसार कार्य करने में सक्षम बना रहा था? विशेष शिक्षक प्रशिक्षण में वह कौन से बदलाव किए जाने की ज़रूरत थी कि यह समावेशी विद्यालयों की आवश्यकताओं को संभाषित कर सके? इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ, इस अध्ययन की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा सुझाए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन, समावेशी विद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया।

अध्ययन विधि – भारत के भिन्न विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे बी.एड. विशेष शिक्षा के भिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मंगवाई गई। एक विश्लेषण उपकरण और पाँच सूत्रीय समावेशी कसौटी, विशेषज्ञों की मदद से तैयार की गई, इस उपकरण और कसौटी के आधार पर बी.एड. विशेष शिक्षा के दस कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन

किया गया। यह दस कार्यक्रम वह थे जो RCI के द्वारा 2015 में सुझाई गई बी.एड. विशेष शिक्षा के पाठ्यचर्या से पहले के कार्यक्रम थे। इसी विश्लेषण उपकरण की सहायता से RCI की 2015 की बी.एड. विशेष शिक्षा पाठ्यचर्या का भी अध्ययन किया गया एवं इसे भी पाँच सूत्रीय कसौटी पर जाँचा गया। बी.एड. विशेष शिक्षा का कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को किसी एक अक्षमता का विशेषज्ञ बनाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण संस्थाएँ RCI के नियमानुसार बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) अथवा अधिगम अक्षमता (LD) अथवा श्रवण विकार (HI) अथवा चक्षु विकार (VI), बहुविकलांगता (HD) अथवा स्वालीनता (ASD) के रूप में चलाती हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्रशिक्षु बी.एड. विशेष शिक्षा में दाखिला लेता है तो वह अपनी इच्छानुसार उपरोक्त छः में से किसी एक को चुन सकता है।

निम्न सूची दर्शाती है कि अध्ययन किस विश्वविद्यालय अथवा संस्था के किस कार्यक्रम का किया गया—

क्र.सं.	विश्लेषण किया गया		संस्था	व्यवस्था
1.	बी.एड. (विशेष) बहुअक्षमता	एक वर्ष	1. NIEPND	नियमित
2.	बी.एड. (विशेष) वार्षिक	दो वर्ष	2. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	दूरस्थ
3.	बी.एड. (विशेष) बहुविशेषज्ञता	एक वर्ष	3. जामिया मिलिया इस्लामिया	नियमित
4.	बी.एड. (विशेष) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर	एक वर्ष (सेमेस्टर)	4. एमिटी विश्वविद्यालय	नियमित

5.	बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता	एक वर्ष	5. एमिटी, विश्वविद्यालय 6. पंजाब विश्वविद्यालय, 7. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	नियमित
6.	बी.एड. (श्रवण विकार)	एक वर्ष (सेमेस्टर)	8. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	नियमित
7.	बी.एड. (विशेष) मानसिक		9. भारतीय पुनर्वास परिषद्	संस्थाओं का निर्णय
8.	बी.एड. (विशेष) मानसिक मांदता	एक वर्ष	10. पंजाब विश्वविद्यालय	नियमित

पहली ही नज़र में अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में काफ़ी विविधताएँ नज़र आईं, जैसे कि कुछ कार्यक्रम वार्षिक थे तो कुछ सेमेस्टर प्रणाली वाले, कुछ एक वर्षीय तो कुछ दो वर्षीय, तो कुछ एकीकृत कार्यक्रम थे जो बी.एड. के साथ-साथ विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य स्नातक की उपाधि भी दे रहे थे।

शोधकर्ताओं ने क्या देखा/पाया- अध्ययन किए गए सभी कार्यक्रमों में निम्न विषय पाए गए-

1. नैचर एंड नीड्स ऑफ़ वेरियस डिसएबिलिटीस
2. एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पर्सन्स विद डिसएबिलिटीस
3. एजुकेशनल प्लानिंग एंड रिसर्च
4. करिकुलम डिज़ाइन एंड रिसर्च
5. एजुकेशन इन इंडिया- ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव
6. प्रैक्टिस टीचिंग

उपरोक्त के अलावा प्रत्येक विश्वविद्यालय ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अपने विश्वविद्यालय के स्वाभावानुसार कुछ विषयों को अपनी ओर से जोड़ा, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने

“सरल उर्दू”, एमिटी विश्वविद्यालय ने ASD वाले बच्चों की शिक्षण पद्धतियाँ विषय को अनिवार्य बनाया। कुल मिलाकर 36 विषय अध्ययन किए गए, दस कार्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे थे। बी.एड. विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता कार्यक्रम में कुछ विषय थे- Introduction to LD, Assessment of CWLD और Intervention for Remedies of LD, इसी तरह के विषय बाकी विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में भी उनकी विशेषज्ञतानुसार पाए गए।

सेवापूर्व “विशेष शिक्षा” एवं “सामान्य शिक्षा” शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना

- सेवापूर्व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वरूप लगभग वैसा ही है, जैसा कि सेवापूर्व सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का। शिक्षक प्रशिक्षण इस विषयवस्तु में सामान्य शिक्षकों के साथ सामुहिक चर्चा एवं साझेदारी, सामान्य शालाओं में समावेशी क्लब पाठ योजना इत्यादि जोड़कर इसे समावेशी बनाया जा सकता है।

- प्रत्येक में, थ्योरी कोर्स पर आधारित कुछ दत्त कार्य करवाए जा रहे थे, जैसे कि लघु अध्ययन, केस स्टडीज़, शाला संबंधी दत्त संकलन एवं अध्ययन।
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम में पढ़ाए जा रहे कुछ विषय सामान्य शिक्षा के ऐच्छिक विषयों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, जैसे कि, Skills of creative expression in special education, Introduction of Multiple disability.
- दोनों में ही प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में जाकर छात्र शिक्षण करना अनिवार्य था।
- दोनों में ही प्रशिक्षुओं से अपेक्षा थी कि वह छात्र शिक्षण अवधि के दौरान लघु शोध, आवश्यकता आकलन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि करेंगे।
- अध्ययन किए गए कार्यक्रमों के उद्देश्यों में समावेशन का उल्लेख छः कार्यक्रमों में पाया गया बाकी चार कार्यक्रमों के उद्देश्यों में समावेशन का उल्लेख नहीं पाया गया।

विशेष शिक्षक प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु

- सेवापूर्व विशेष शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे भिन्न विषयों के उद्देश्य का विश्लेषण समावेशन के दृष्टिकोण से किया गया और यह पाया कि 36 में से 28 विषय ऐसे थे जिनके उद्देश्यों में या तो समावेशन का उल्लेख था या फिर उनके समावेशी बनाए जाने की गुंजाइश थी। जैसे कि, Education

Psychology and PWD के उद्देश्य थे— विकास और वृद्धि के सिद्धांतों को समझना, अधिगम थ्योरियों, व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को समझाना और PWD के लिए निहितार्थ को पहचानना। इन दोनों उद्देश्यों में समावेशी दृष्टिकोण झलकता है, किंतु तीसरे उद्देश्य—मार्गदर्शन एवं परामर्श का अर्थ एवं PWD के संदर्भ में इसकी भिन्न तकनीक में कुछ बदलाव कर इसे समावेशी कक्षा एवं विद्यालयों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

- Curriculum and Teaching Strategies (MR) विषय का उद्देश्य सामान्य कक्षा शिक्षक के साथ साझेदारी में कार्य करना, समावेशी शालाओं के कार्यान्वयन ही है, और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
- समावेशी शिक्षा संबंधी दत्त कार्यों का उल्लेख केवल 14 विषयों में ही पाया गया। उदाहरण के लिए, Education in India : A Global Perspective का एक प्रस्तावित दत्त कार्य था, व्यवस्थायी सुधार और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा खंड का विश्लेषण करना। कुछ दत्त कार्यों में ज़रा से बदलाव से उन्हें समावेशी कक्षानुरूप बनाया जा सकता है, जैसे कि, Introduction to LD के विषय में एक प्रस्तावित दत्त कार्य, ADD और ADHD बालक के लिए गतिविधियों की योजना बनाना है, इसमें यदि समावेशी कक्षा

को जोड़ दिया जाए तो दत्त कार्य शायद ज्यादा सार्थक हो जाएगा। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले ADD और ADHD बालक के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाना। दोनों में ही मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, शिक्षणशास्त्र इत्यादि आधारित विषय पढ़ाए जा रहे थे।

- भिन्न विषयों की प्रस्तावित विषयवस्तु का समावेशी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर पाया गया कि दस कार्यक्रमों के 36 में से केवल 28 विषयों की विषयवस्तु में ही समावेशी पठन सामग्री शामिल करने की गुंजाइश थी। उदाहरण के लिए, Skills of Creative Expression.
- विषय सामग्री में वर्णित था, विशेषज्ञों द्वारा चर्चा, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्युत्सायियों के लिए कार्यशाला, पुस्तक समीक्षा, भिन्न स्तरों की संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी इत्यादि। इस विषयवस्तु में सामान्य शिक्षकों के साथ सामूहिक चर्चा एवं साझेदारी, सामान्य शालाओं में समावेशी क्लब पाठयोजना इत्यादि जोड़कर इसे समावेशी बनाया जा सकता है।
- किसी भी समावेशी कक्षा-कक्ष में एक से अधिक तरह की अक्षमता या विशेष आवश्यकता वाले छात्र हो सकते हैं, अतः जरूरी है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को सभी प्रकार की विशेष आवश्यकताओं से परिचित एवं संबोधन में कुशल बनाएँ। अतः प्रत्येक कार्यक्रम के विषयों की विषयवस्तु में एक-एक करके हर विशेष आवश्यकता का अध्ययन किया गया और पाया गया कि-

- 36 में से केवल नौ विषयों की विषयवस्तु में अंधता एवं दृष्टि दोषों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया, इनमें से भी केवल एक विषय Nature and need of various disabilities—An introduction अध्ययन किए गए दस में से आठ कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में शामिल था।
- श्रवण एवं वाणी विकारों के बारे में जागरूकता का प्रयास अध्ययन किए गए लगभग हर कार्यक्रम में पाया गया, जबकि अध्ययन किए गए दस में से केवल तीन ही श्रवण विकार को समर्पित थे, जहाँ कार्यक्रम के स्वाभावानुसार, विशेष ध्यान श्रवण एवं वाणी विकास पर था। अन्य कार्यक्रम जैसे कि, बी.एड. विशेष शिक्षा मानसिक मंदता में भी कुछ विषयों में श्रवण विकारों पर संलिप्त अक्षमता के रूप में उल्लेख पाया गया, जैसे कि, Mental retardation its multidisciplinary aspect and methodology of teaching children with LD in an inclusive set up.
- कोढ़ और चलने-फिरने (गति) संबंधी कठिनाईयों के बारे में केवल आठ ही विषयों में उल्लेख पाया गया, हालाँकि अध्ययन किए गए प्रत्येक कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को एक विषय की एक इकाई द्वारा इस बारे में जानकारी देने का प्रयास पाया गया। समान

स्थिति सेरेबल पॉलसी और मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी के बारे में भी देखी गई।

- स्वालीनता (Autism) और बौद्धिक अक्षमता का ज़िक्र भी प्रत्येक कार्यक्रम में पाया गया, किंतु मानसिक विकारों को अनदेखा रहने दिया गया। 36 में से 14 विषयों की विषयवस्तु में स्वालीनता और बौद्धिक अक्षमता का उल्लेख पाया गया।
- दस विषयों में बहुअक्षमता, श्रवण-चक्षु विकार और बहुस्कलॉरेसिस का ज़िक्र देखा गया। अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों में से केवल तीन (NIEPMD का बी.एड. विशेष शिक्षा बहुविकलांगता, बी.एड. MR, बी.एड. VI) की ही पाठ्यवस्तु में बहुअक्षमता, श्रवण-चक्षु विकार और बहुस्कलॉरेसिस का उल्लेख पाया गया।
- बारह विषयों में अधिगम अक्षमता के विषय में जानकारी देने का प्रयास नजर आया। एकमात्र यही ऐसी अक्षमता थी जिसके बारे में शिक्षण पद्धति के पेपर में भी पढ़ाया जा रहा था।
- अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में प्रतिभावान बालकों के बारे में उदासीनता ही पाई गई। मात्र दो कार्यक्रमों के एक पेपर में ही इनका उल्लेख पाया गया। यही स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों की भी देखी गई।
- धीमी गति वाले बालक हमारी कक्षाओं का एक अदृश्य समूह हैं, शायद इसलिए

इनके बारे में बेहद थोड़ी जानकारी एवं चर्चा, अध्ययन किए गए कार्यक्रमों में पाई गई। मात्र पाँच विषयों में इनका उल्लेख पाया गया।

- आर्थिक रूप से पिछड़े बहुभाषाई और जेंडर इत्यादि के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए नाममात्र प्रयास देखे गए।
- दस में से केवल चार कार्यक्रमों में ही छात्र शिक्षण के लिए समावेशी विद्यालयों के चयन का सुझाव था। पाँच ने विशेष विद्यालयों का सुझाव दिया था। अधिकांश कार्यक्रमों में कम-से-कम 20 पाठ योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा थी।
- तीन कार्यक्रमों में छात्र शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं से समावेशी कक्षा के 18 अवलोकनों की अपेक्षा की गई थी। सामान्य शालाओं के संसाधन कक्ष में पढ़ाने का भी प्रस्ताव पाया गया। भाषा शिक्षण के लिए भी सामान्य कक्षाओं में शिक्षण अवलोकन को प्रोत्साहित किया गया था।
- अध्ययन किए गए बी.एड. विशेष शिक्षा के दस कार्यक्रमों के केवल छः ही पेपरो/विषयों में छात्र शिक्षण के दौरान किए जाने वाले दत्त कार्य समावेशी रूझान वाले पाए गए।

सेवापूर्व शिक्षण प्रशिक्षण – कार्यक्रमों की समावेशन कसौटी

प्रत्येक कार्यक्रम को निम्न पाँच सूत्रीय कसौटी पर जाँचा गया। क्या यह कार्यक्रम शिक्षक को सक्षम बना रहा है कि वह—

1. अक्षमताओं, जेंडर भेद, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से उत्पन्न होने वाली छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पहचान सके।
2. छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम गतिविधियों में बदलाव कर सके।
3. गैर समावेशी व्यवस्था के बजाए समावेशी कक्षा-कक्षा में पढ़ा सके।
4. शिक्षण अधिगम और आकलन संबंधी क्रियाकलापों को सभी छात्रों तक पहुँचा सके।
5. अन्य शिक्षकों एवं विशेषज्ञों, जैसे कि, विशेष शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वाणी विशेषज्ञ इत्यादि के साथ साझेदारी में काम कर सके।

अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों का कसौटी विश्लेषण निम्न तालिका में दिया गया है –

सूत्र	हाँ	ना
1	10	0
2	9	1
3	4	6
4	1	9
5	8	2

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अध्ययन किए गए दस कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बालक की अधिगम आवश्यकताओं की समावेशी कक्षा में पहचान और देखभाल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। केवल चालीस प्रतिशत कार्यक्रमों में ही समावेशी कक्षा-कक्षा में अधिगम की चर्चा की गई है। 20 प्रतिशत कार्यक्रमों में विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के बीच साझेदारी का प्रयत्न पाया गया। केवल एक

ही कार्यक्रम ऐसा था, जहाँ छात्रों को सभी बालकों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आकलन सुलभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। दस में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो समावेशी शिक्षा की पाँचों कसौटियों पर खरा उतरता हो।

नयी पाठ्यचर्या विश्लेषण

ऊपर प्रस्तुत विश्लेषण उन कार्यक्रमों का है जो भारतीय पुनर्वास परिषद् में प्रस्तावित बी.एड. विशेष शिक्षा के दो साल के नए कार्यक्रम से पहले चलाए जा रहे थे। इस प्रस्तावित नए कार्यक्रम का भी विश्लेषण एवं समीक्षा विश्लेषण उपकरण और समावेशन कसौटी के आधार पर किया गया। बी.एड. विशेष शिक्षा की सभी छः विशेषज्ञ उपकार्यक्रमों जैसे- बी.एड. विशेष शिक्षा (MR), (VI), (HI), (ASD), (LD), और (MD) का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि-

- प्रत्येक कार्यक्रम का मूलभूत ढाँचा तो एक ही जैसा है, किंतु अब इसमें बहुत से वैकल्पिक/ऐच्छिक विषय जोड़े गए हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं, और प्रशिक्षु अपनी रुचिनुसार विषय का चयन कर सकते हैं।
- पूरी पाठ्यचर्या यह समझती और स्वीकारती है कि प्रशिक्षणोपरांत कार्यक्षेत्र, सामान्य/समावेशी शलाएँ हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है।
- समय के दृष्टिकोण से प्रत्येक कार्यक्रम दो वर्षीय कर दिया गया है, अतः समरसता पाई गई।

अनिवार्य विषयों का विवरण निम्न है-

<p>AREA: A Core Courses A-1 Human growth and development A-2 Contemporary India and education A-3 Learning, teaching and assessment A-4 Pedagogy of teaching i. Science ii. Mathematics iii. Social Studies A -5 Pedagogy of Teaching i. Hindi / Regional language ii. English</p>	<p>AREA: B Cross Disability and Inclusion B-6 Inclusive Education B-7 Introduction to Sensory Disabilities B-8 Introduction to Neuro-developmental Disabilities B-9 Introduction to locomotor and Multiple Disabilities B-10 Skill Base Optional Courses (Cross Disability and Inclusion) i. Guidance and counseling ii. Early childhood care education iii. Applied behavioural analysis iv. Community base rehabilitation v. Application of ICT in classroom vi. Gender and disability vii. Braille and assistive devices B-11 Skill Base Optional Courses (Disability Specialisation) i. Orientation and mobility ii. Communication option : oralism iii. Communication option : normal (Indian sign language) iv. Augmentative and alternative communication v. Management of learning disability vi. Vocational rehabilitation and transition to job permanent</p>	<p>AREA: C Disability Specialisation Courses C-12 Assessment and identification of needs C-13 Curriculum designing adaption and evaluation C-14 Intervention and teaching strategies C-15 Technology and disability C-16 Psychology and family issues</p>	<p>AREA: D Enhancement of Professional Capacities D-17 Reading and reflecting on texts D-18 Drama and art in education D-19 Basic research and statistics</p>	<p>AREA: E Practical Related to Disability E-1 Cross Disability and Inclusion E-2 Disability specialisation</p>	<p>AREA: F Field Engagement School Attachment/ Internship F-1 Main disability special school F-2 Other disability special school F-3 Inclusive school</p>
---	--	--	--	--	--

- कार्यक्रमों के उद्देश्य में ही समावेशी शिक्षा और शालाओं का ज़िक्र है। जैसे कि, शैक्षिक प्रावधानों की अवधारणा की समझ और बच्चों के साथ विशेष और समावेशी स्थिति में कार्य करने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास।
- प्रत्येक विषय के विशिष्ट उद्देश्यों में भी समावेशी शालाओं का उल्लेख पाया गया। उदाहरण के लिए, विषय Cerebral Palsy का एक उद्देश्य है— समावेशी शिक्षा के लिए भिन्न अनुकूलन योजना बनाने के कौशल का प्रदर्शन।
- उद्देश्यों के अनुरूप ही प्रत्येक विषय की विषयवस्तु निर्धारण में भी समावेशी शालाओं एवं विशेष आवश्यकताओं में तालमेल बैठाने के प्रयत्न पाए गए। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी शिक्षण की विषयवस्तु में शामिल है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी शिक्षण की विधियाँ, पाठों एवं इकाई की अनुकूलित योजना बनाना।
- प्रत्येक विशेषज्ञता कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं की, अन्य अक्षमताओं की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक न्यूनतम कौशल विकास का प्रयत्न भिन्न विषयों के माध्यम से करने की इच्छा दिखाई दी, जैसे कि, बी.एड. विशेष शिक्षा (LD) के प्रशिक्षु में अल्पदृष्टि एवं अंधता की जानकारी एवं कौशल विकास 11 विषयों की विषयवस्तु के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं इसी कार्यक्रम में श्रवण एवं वाणी विकार, तीन विषयों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में एक विषय व आर्थिक रूप से पिछड़ों के बारे

में दो विषयों व बहुभाषा के बारे में पाँच विषयों की विषयवस्तु में उल्लेख पाया गया।

- शाला-आधारित विषयों में भी सामान्य/ समावेशी शालाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है ताकि प्रशिक्षुओं में समावेशी शालाओं में पढ़ाने के लिए पाठ योजना पाठ्यवस्तु अनुकूलन के पश्चात् बनाने का कौशल विकसित हो। समावेशी शालाओं में कम-से-कम दस कक्षा शिक्षण प्रस्तावित हैं।
- पाठ्ययोजनाओं के अतिरिक्त समावेशी शालाओं में लघु शोध और अन्य दत्त कार्य भी पाठ्यचर्या में प्रस्तावित हैं।
- विशेषज्ञता के अलावा अन्य विशेष आवश्यकता संबंधी, समावेशी शाला-आधारित दत्त कार्यों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है।

निष्कर्ष

जहाँ तक समावेशी कसौटी की बात है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रस्तावित बी.एड. विशेष शिक्षा की दो वर्षीय नयी पाठ्यचर्या पाँच में से चार सूत्रों पर तो खरी उतरती है, लेकिन पहला ही सूत्र, जहाँ समावेशी कक्षा में हर तरह की विशेष आवश्यकताएँ पहचानने की बात है, उसे आंशिक रूप से ही पूरा कर पा रही है। जिसका कारण शायद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नामांकन एवं स्वभाव में देखा जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर विशेष शिक्षक निर्माण का उद्देश्य है और शायद इसीलिए अक्षमता प्रधान पाठ्यचर्या है। पुरानी और नयी पाठ्यचर्या में बहुत से अंतर हैं। नयी पाठ्यचर्या समय की मांग को पहचान

कर समावेशी कक्षाओं में कार्य करने हेतु प्रशिक्षुओं के साथ-साथ, शाला-शिक्षण के दौरान भी समावेशी को तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नयी कक्षाओं के अनुरूप कौशल विकास पर उचित ध्यान पाठ्यचर्या की सबसे अच्छी बात है कि इसमें थ्योरी दिया गया है।

संदर्भ

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र www.successkey.com.

बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता, पाठ्यचर्या, एमिटि, विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) अधिगम अक्षमता, पाठ्यचर्या, पंजाब विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) चक्षु विकार, पाठ्यचर्या, जामिया मिलिया इस्लामिया

बी.एड. (विशेष) पाठ्यचर्या, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) बहुअक्षमता, बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान (NIEPMD)

बी.एड. (विशेष) श्रवण विकार, पाठ्यचर्या, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) ASD, पाठ्यचर्या, एमिटि, विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) MR, पाठ्यचर्या, पंजाब विश्वविद्यालय

बी.एड. (विशेष) MR, पाठ्यचर्या, भारतीय पुनर्वास परिषद्

बी.एड. (विशेष) श्रवण विकार, पाठ्यचर्या, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय